ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.1, Jan. – Mar., 2025/30

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सशक्तिकरण : एक सार्थक प्रयास

कुमारी स्मिता सिंह,

https://doi.org/ 10.61410/ had.v20i1.225

सारांश

भारत विभिन्न संस्कृतियों एवं विविधता धारण करने वाला ऐसा देश रहा है जहां अनेकानेक जातियों, धर्मों एवं समुदायों का अस्तित्व सुरक्षित माना जाता है, किन्तु इतिहास साक्षी रहा है जहाँ इसी देश में अनुसूचित जाति की महिलाऐं भेदभाव का शिकार भी रही हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वतंत्रता पश्चात् से लेकर सामाजिक असमानता, शिक्षा की कमी, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ–साथ पारिवारिक एवं सामाजिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। इस प्रकार की चुनौतियों एवं बाधाओं को पार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण का प्रयास रूढ़ियों, परम्पराओं, गरीबी, अशिक्षा तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त कर अवश्य किया जाना चाहिए।

शब्द संकेत– रुढ़ियों, विविधता, सामाजिक असमानता, सशक्तिकरण

शोध–पत्र

अनुसूचित जाति की महिलाओं का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर माना गया है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के पश्चात् जाति व्यवस्था ने भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को जातिगत भेदभाव के साथ व्यवस्था ने भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को जातिगत भेदभाव के साथ लैंगिक असमानता का भी सामना करना पड़ा है। मानव विकास की गति ने कार्य विभाजन की स्थिति को जन्म दिया और इसी कारण विशेषीकरण का प्रभाव भी स्पष्ट होने लगा स्त्री और पुरुष के बीच श्रम विभाजन की स्थिति ने जन्म लिया। पितृ सत्तात्मक परिवार होने के कारण प्रत्येक स्थान पर पुरुष अपना आधिपत्य स्थापित करता गया और महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त हुआ। स्त्रियाँ मात्र घर की वस्तु बनकर, रह गयीं।[1]

महिलाओं की प्रस्थिति में युगानुरूप परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। वैदिक युग से लेकर पूर्व मध्ययुग तक उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी रही। वैदिक युग में अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ की प्रस्थिति भी अन्य वर्गों की तरह ही बेहतर थी, किन्तु तत्पश्चात् उनकी प्रस्थिति में अवनति आरम्भ हो गया जो स्वतंत्रता काल तक चलता रहा।[2] भारतीय जीवन पद्धति में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के अधीन बनी रही, आधी आबादी होने के पश्चात् भी उन्हें शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि से वंचित रखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी शक्ति और मर्यादा प्राप्त करने में सैकड़ों वर्षो का इंतजार करना पड़ा। उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाने हेतु सशक्तिकरण का प्रयास जारी है।[3] भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता पश्चात् भी पुरुष और स्त्री की प्रस्थिति में अन्तर रूप से देखा जा सकता है उन्हें समाज के प्रत्येक पक्ष में कमजोर और दुर्बल समझा गया है, यही वास्तविकता है कि महिलाओं के प्रति पुरुष समाज के दृष्टिकोण में स्वतः परिवर्तन नहीं आया है बल्कि इस देश के संविधान प्रदत्त अधिनियमों के कारण आया है। स्त्री और पुरुष के बीच स्थापित खांई को बराबर करने का सार्थक प्रयास समाज के महापुरुषों के साथ–साथ संविधान की बड़ी भूमिका है।[4]

वास्तव में महिलाओं के पिछड़ेपन हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण कारक रहा है। शिक्षा कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका में होता है, शिक्षा से आत्म विश्वास, एकजुटता प्राप्त होती है जिससे सामाजिक भेदभाव एवं हिंसा के विरूद्ध चुनौती हेतु शक्ति में वृद्धि होती है। अगर समाज के

- **डॉ0 कुमारी स्मिता सिंह, गया बिहार।**

प्रत्येक वर्ग को महिलाओं के लिए शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता तो महिलाओं को भी अपने भाग्य को आकार प्रदान करने के साथ–साथ परिवार एवं समुदाय के बेहतर जीवन–निवर्हन हेतु योगदान की शक्ति अवश्य प्राप्त हो पाती।

भारत जैसे देश में जहां कुल जनसंख्या की आधी संख्या अशिक्षित महिलाओं की हो ऐसे रूढिवादी परमपराओं और विश्वासों, प्रथाओं के बीच जकड़े हुए समाज में परिवर्तन लाना बड़ा कठिन कार्य अवश्य था क्योंकि जनमत भी इस पक्ष में नहीं रहा होगा अन्यथा ऐसी प्रस्थिति से आज दो चार न होना पड़ता। स्वतंत्रता के पश्चात् इस पक्ष पर भी दृष्टिपात हुई और महिलाओं के संदर्भ में भी कुछ विधान बनाये गये। महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ विधान निम्नवत हैं :–

1. समानता का अधिकार, अर्थात् अवसरों की समानता, कानून के समक्ष समानता कानूनों का समान संरक्षण तथा नौकरियों इत्यादि में लिंग के आधार पर भेदभाव न समझा जाना।
2. स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात् भाषण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता एवं व्यवसाय व गतिशीलता की स्वतंत्रता।
3. शोषण के विरूद्ध स्वतंत्रता, अर्थात् बेगार के विरूद्ध।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात उपदेश तथा धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक अनुपालन।
5. सम्पत्ति का अधिकार, अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेंचने का अधिकार।
6. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अर्थात् संस्कृति का संरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश करने का अधिकार।
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात् मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार।[5]

सदियों से कमजोर स्थिति में जीवन–निवर्हन करने वाली जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में पहचान मिली। अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं शैक्षिक आधार पर निम्नस्थिति प्रदान की गयी। इन जातियों के ऊपर अनेकानेक प्रतिबन्ध लगाये गये थे। सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुसूचित जातियों का अन्य उच्च जातियों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान रखे। सरकार ने राज्य स्तर पर ऐसी जातियों की सूची तैयार करवायी जिसे अनुसूचित जाति नाम दिया गया स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में सरकार द्वारा 1935 में दलित जातियों को सूचीबद्ध किया था।[6]

भारतीय संविधान में इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में महिलाओं के अधिकारों की व्याख्या की गयी है। अनुच्छेद–16 में वर्णित है कि पुरुषों की तरह सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान किया जाय। अनुच्छेद–14 में कहा गया है कि स्त्री–पुरुष के मध्य मतभेद समाप्त करने का अवसर दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने की बात कहीं गयी है। अनुच्छेद–15 में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने की बात कहीं गयी है। अनुच्छेद–39 में राज्य से यह अपेक्षा की गयी है कि वह महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करें और 15A(E) प्रत्येक नागरिक को यह उत्तरदायित्व प्रदान करता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे स्त्री के मान–सम्मान में कोई कमी आये। यह बहुत ही संतोष की बात है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून पारित किये हैं जिनके द्वारा स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित हो सकेगी। परिवारों में महिलाओं के साथ ही रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है। इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु भी कानून बनाया गया। हिन्दू विवाद अधिनियम–1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम–1954 के सेक्शन–22 के अन्तर्गत न्यायालयों को तत्काल का अधिकार

प्राप्त है, जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, दमन इत्यादि से रक्षा करता है।[7] महिलाओं की ऐसी संख्या अभी बहुत बड़ी है जो दो वक्त का भोजन कठिनाई के साथ प्राप्त कर पा रही हैं। रीति–रिवाजों के जाल में उलझी हुई ऐसी महिलाओं का जीवन सुलभ और गौरवपूर्ण बन सके इसका प्रयत्न समाज उच्च वर्ग की महिलाओं की है।

समाज के किसी भी वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्देश्य उनके भीतर प्रगति और आत्मविश्वास का संचार करना है। वास्तव में प्रश्न यह उठता है कि जिस देश की स्त्री स्वयं ही शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजनीय रही हो क्या उसे शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। देवी को शक्ति प्रदान करने वाला वह कौन सा व्यक्ति पृथ्वी पर है जो उसे शक्ति सम्पन्न कर सके। एक स्त्री की कोख से ही पुरुष का जन्म होता है, वहीं उसे संस्कार सम्पन्न बनाती है, पालन–पोषण करती है, वह सहचरी और सहगामिनी होती है। वास्तव में बिना स्त्री के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, किन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के पश्चात् जाति व्यवस्था में पद सोपान क्रम व्यवहार में उच्च और निम्न जाति परम्परा ने स्त्री जगत की महिलाओं को भी कमजोर सिद्ध कर विभाजित कर दिया है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी अन्य वर्ग के साथ ही सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान द्वारा उन्हे आरक्षण के माध्यम से बराबरी का स्थान मिल अवश्य गया है किन्तु बिना शिक्षा प्राप्त किये इस बराबरी को भी प्राप्त नहं किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी सरकार द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम चलाये गये हैं यथा– काम के बदले अनाज योजना–1977, अन्त्योदय कार्यक्रम 1978, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम–1980, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल–विकास कार्यक्रम (उबाकरा) 1982, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद–1986, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम 1987, कुटीर ज्योति योजना–1988–89, स्वर्ग जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्त्योदय योजना–2000, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–2001, किशोरी शक्ति योजना–2001, महिला स्वयं सिद्ध योजना–2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–2005, भारत निर्माण योजना–2010, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष उ0प्र0 प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इण्डिया, धनलक्ष्मी योजना, बालिका समृद्धि योजना अत्यादि। ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण को आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास को वैश्विक स्तर पर सामाजिक–आर्थिक अवसरों में सुधार हेतु महिलाओं की आजीविका, अधिकार और लचीलेपन को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास अग्रसर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. 'सुदर्शन' हरिदास रामजी; नारी उत्पीड़न एवं समाधान, ग्रन्थ विकास जयपुर, पृ0–27
2. मिश्र जयशंकर; प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृ0–384
3. गाँधी महात्मा; यंग इण्डिया 15/09/1921 पृ0–292
4. बत्रा, उर्मिला; महिला साक्षरता एवं सामाजिक परिवर्तन, मार्क पब्लिशर्स जयपुर, पृ0–01
5. आहूजा, राम; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–98
6. राजौरा, सुरेश चन्द्र ; समकालीन भारत की सामाजिक समस्याऐं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, पृ0–93
7. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह जनमेजय ; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–90